

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in

P.- (07162)243457, Fax (07162)242267

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3974

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 08/11/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कक्ष - भू प्रबंध)

वन भवन भोपाल म.प्र.

विषय :- छिंदवाड़ा जिले में एडीबी-6/7 योजना अंतर्गत हरई - बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क-41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम छिंदवाड़ा कोउपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/124534/2021)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल के पत्र क. /एफ-5/1140/2022/10-11/4719 दिनांक 04.09.2024 एवं म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. संभागीय प्रबंधन छिंदवाड़ा के पत्र क. 825 दिनांक 22.10.2024।

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में एडीबी-6/7 योजना के अंतर्गत हरई - बिजोरी मार्ग (राजमार्ग क्रमांक 41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर (पूर्व वनमंडल अंतर्गत 6.192 हेक्टेयर एवं पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत 0.180 हेक्टेयर) भूमि के प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक एफ-5/1140/ 2022/10-11/4719 दिनांक 04.09.2024 से चाही गई बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 5 की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित की गई है, जो पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव) भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3975

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 08/11/2024

प्रतिलिपि :- 01 वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा



मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624
E-mail-Id: dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

स. क्र. 825/हरई बिजोरी फॉरेस्ट/एमपीआरडीसी/2024 छिन्दवाड़ा दिनांक 22/10/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
पूर्व छिंदवाड़ा वनमण्डल,
छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल,
छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)

विषय:- छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी.- 6/7 योजना के अंतर्गत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्य राजमार्ग) क्रमांक-41) कुल लंबाई-72.73 कि.मी. के उननयन/निर्माण हेतु कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम को देने बाबत।

(ऑनलाइन प्रकरण क्रं. FP/MP/ROAD/12434/2021)।

संदर्भ:- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-5/1140/2022/10.11/808 भोपाल दिनांक 05/02/2024।

2. वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल का पत्र मा.चि/2024/701 छिंदवाड़ा दिनांक 16/04/2024।

3. वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल का पत्र क्रमांक-तकनीकी/2094 छिंदवाड़ा दिनांक 19/07/2024।

1786 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, क्रमांक/एफ-5/1140/2022/10-11/4719 भोपाल 28/10/24 दिनांक 04/09/2024।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक-01 से 05 तक ही जानकारी निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Comnditions	Compliance
1	KML. File uploaded for forest and non forest area in online portal.If, the non forest aea is also involved in widening of the existing road then the requisite entry of the area may be made in designated columns in online portal.	There is no non-forest land is being acquired for road construcion and widening, which informationis given in point No.-A-1-IX of the applied online aplicaiton.
2	The State Govt. has stated that the exisging road is constructed before 1980 but as prescribed in the guideline (Handbook of FCA 198000aaaat para 11.6 and guideline dtated 15.03.2023) the copy of specific order for de-reservation or diversion of forest lands issued by the State govt. Prior to 25.10.1980.	The route was built before 1980. As per toposheet no. 55 N/2 55 j/15 & 55 j/11 in enclosed. The existing carriageway should also part of area proposed for diversion the neccssary changes in the proposal part-I be changed and uploaded on Parivesh Portal-Annexure-I enclsoed.

	for the construction of existing road has not been provided. If it is not available then the existing carriageway should also be part of the area proposed for diversion. the necessary changes in the proposal be made accordingly.	
3	Also, name of authority who passed orders in violation of FCA, for construction of road (prior to 1980) needs to be provided.	The work in forest area will not be start before the approval of project & there is no Violation of FCA 1980 in Project
4	As per the DSS report, some non-forest area is falling in the forest compartment. The same is need to be re-verified by the concerned DFO.	DFO West Chhindwara Letter No. क्रमांक/मा. चि/2024/1272 छिन्दवाड़ा दिनांक 08/08/2024। DFO East Chhindwara Letter No. क्रमांक/मा. चि/2024/2980 छिन्दवाड़ा दिनांक 12/08/2024। Latter attached.
5	Layout plan shall be submitted.	Layout plan is attached.

उपरोक्त संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के कार्यालय से प्राप्त पत्र पर इस कार्यालय का अभिमत सहित संबंधित दस्तावेज इस पत्र साथ संलग्न प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रधान कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे स्टेज-1 स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त कर छिंदवाड़ा जिले में मार्ग निर्माण प्रारंभ किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

पृ. क्र. 1 हरई विजोरी फॉरेस्ट/एनपीआरडीबी/2024

प्रतिलिपि:-

- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास निगम
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा दिनांक 11/10/2024

— ६२७१/-
संभागीय प्रबंधक